कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 15/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 14.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जमानियाँ पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी को किया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक जमानियाँ के कुशल निर्देशन मे आज दिनांक 14.07.2024 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार मय हमराह के वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत NBW के क्रम में 02 वारंटी को ग्राम बरुइन से समय करीब 07.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वांरटी का नाम व पता–

1.अखिलेश राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी डेहरी थाना राजपुर जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 35 वर्ष

2. राधेश्याम पुत्र विजई निवासी बरूईन थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उम्र करीब 36 वर्ष

02- थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 115/2024 धारा 85,80 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 14.07.2024 को मुझ थानाध्यक्ष कमलेश कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र व कर्म0गण आरक्षी सोनू कुमार, आरक्षी जमीन अंसारी, आरक्षी राजेश कुमार, आरक्षी प्रेमनाथ कुशवाहा व महिला आरक्षी सुजाता पाण्डेय के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2024 धारा 85,80 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गण बृजेश राजभर पुत्र स्व0 बब्बन राजभर 2.मुकेश राजभर पुत्र स्व0 बब्बन राजभर 3. रीना देवी पत्नी स्व0 बब्बन राजभर समस्त निवासी गण ग्राम पहलवानपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को उनके घर पर दबिश के दौरान समय करीब 15.00 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके विरूद्ध दिनांक- 11.07.2024 को वादी मुकदमा श्री जनार्दन राजभर पुत्र स्व0 सरजू राजभर निवासी ग्राम बड़ागाँव थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 115/2024 धारा 85,80 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट में अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर गिरफ्तार अभियुक्त गण को जेल भेजा जा रहा है। विवरण गिरफ्तारी का विवरण निम्नवत है -

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. बृजेश राजभर पुत्र स्व0 बब्बन राजभर निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष

2. मुकेश राजभर पुत्र स्व0 बब्बन राजभर निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष

3. रीना देवी पत्नी स्व0 बब्बन राजभर निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम पहलवानपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 115/2024 धारा 85,80 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर